BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN

TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

Original Application No. 529 of 2023

IN THE MATTER OF

Dr. Sharad Gupta ...Applicant

Versus

Union Of India & Ors. ...Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PG.NO.
1	AFFIDAVIT BY THE CHIEF CONSERVATOR OF FOREST, WILDLIFE WESTERN CIRCLE, KANPUR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 07.01.2025	1-13
2	ANNEXURE 1: TRUE COPY OF THE LETTER NO. 2097/10-1(COURT CASE) LUCKNOW DATED 05.02.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 1.	14-15
3	ANNEXURE 2: TRUE COPY OF THE NOTE SHEET AND LETTER NO. 1337/23-1(E.S.Z.) DATED 25.01.2025 HAVE BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 2.	16-17
4	ANNEXURE 3: TRUE COPY OF THE LETTER NO. 1340/23-1 (E.S.Z.) DATED 25.01.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 3.	18-19
5	ANNEXURE 4: THAT THE LETTER NO. 507/LOWER/KEETHAM DATED 31.01.2025 HAS BEEN ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE 4.	20
6	ANNEXURE 5: THAT THE LETTER NO. 1608/MINERAL ASSISTANT/2024-25 DATED 05.02.2025 HAS BEEN ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE 5.	21
7	ANNEXURE 6: THAT THE LETTER NO. 1091/OG-649/2025 DATED 29.01.2025 HAS BEEN ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE 6.	22
8	ANNEXURE 7: THAT THE LETTER NO. 6593/22-1 DATED 07.02.2025 HAS BEEN ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE 7	23
9	ANNEXURE 8: LETTER NO. 6623/22-1 DATED 11.02.2025 HAS BEEN ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE 8.	24
10	ANNEXURE 9: TRUE COPY OF LETTER NO. 313/P.N./D.V.V.N.L./TECH. DATED 12.02.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 9.	25
11	ANNEXURE 10: TRUE COPY OF THE LETTER NO. 5077/D.I.P.E.D.C(AGRA) DATED 07.02.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 10.	26

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

12	ANNEXURE 11: TRUE COPY OF THE LETTER NO. 1484/23-1 DATED 12-02-2025 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE 11.	27

Filed Through:-

Bhanwar Pal Singh Jadon

Standing Counsel,

State of Uttar Pradesh

DATE: 13.02.2025
PLACE: NOIDA

NOTARY REKHA ARORA Adv. & Notary Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India Regd. No. 31(79)2001 GOVT. OF UTTAR PRADESH

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

1

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 529 of 2023

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

IN THE MATTER OF

Dr. Sharad Gupta ...Applicant

Versus

Union Of India & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT BY THE CHIEF CONSERVATOR OF FOREST, WILDLIFE WESTERN CIRCLE, KANPUR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 07.01.2025

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, N. Ravindra, aged about 57, S/o Shri M. Narasimhaiah, presently posted as Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am above-mentioned answering Respondent, and I am filing the present Affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this Affidavit.

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present Affidavit. The averments made in the affidavit which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That in the present Original Application No. 529/2023, the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the order dated 07.01.2025 from which the operative part has been given as under:

> *"**10.** With regard to remaining land, it is said that it is not 15.415 hectare but actually 14.50 hectare and for this purpose draft notification under Section 18 of WP Act, 1972 has been issued on 27.12.2024.*
>
> ***11.** However, no timeline has been mentioned in the said action taken report as to when final notification shall be issued in respect of 14.5025 hectare of land for which notification under Section 18 has been issued on 27.12.2024.*
>
> ***12.** Learned Counsel appearing for the State said that he may be allowed three weeks' time to file an affidavit to place on record the timeline for issue of final notification in this regard.*

R. Arora

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q.Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

__15.__ Learned Counsel for the State, however, could not dispute with regard to prohibited activities, within prohibited area of notified reserve forest/wildlife sanctuary or bird sanctuary or within the prohibited eco-sensitive zone thereof, cannot be allowed to be continued but in this regard, nothing has been placed on record. He said that he may be allowed time to place on record said facts also.

__16.__ Additional affidavit may be filed by State of UP within one month giving details of all aspects as noted above."

4. It is submitted that in compliance with point 12 quoted above from the order dated 07.01.2025 of this Hon'ble Tribunal, the detailed timeline was disclosed vide letter no. 2097/10-1(Court Case) Lucknow dated 05.02.2025 of the Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttar Pradesh, Lucknow, addressed to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Section-4, Uttar Pradesh Government, Lucknow. That this timeline was concluded for issuing the final notification for the 14.5025-hectare area under Section 26A(1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is as follows:

S. No.	Date	Description
1	20-01-2025 to	Time required for the proceeding

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

	20-10-2025	under section 19 to section 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 of 14.5025 ha of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2	21-10-2025 to 21-04-2026	Time required for the proceeding under section 24 to section 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for 14.5025 ha of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
3	22-04-2026 to 22-10-2026	Time required for the study of records and survey of the 14.5025 ha area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra and preparation of field book, map and proposal.
4	23-10-2026 to 26-12-2026	Time required for the examination of the field book, map and proposal for final notification of 14.5025 hectares of Soor Sarovar Bird Sanctuary under section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972. Dispatch of the proposal from Deputy Conservator of Forest level, after which, review and dispatch of

REKHA ARORA
NOTARY
LUCKNOW U.P. INDIA
Regd. No. 31(79)2001
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mid. H... Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)...01
13/2/25

5

		proposal from CCF Wildlife Western, Kanpur, Uttar Pradesh level.
5	27-12-2026 to 27-01-2027	Review and dispatch of the proposal from the Headquarters, Forest, Uttar Pradesh, Lucknow.
6	28-01-2027 to 28-04-2027	Final notification under section 26A(1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.

True copy of the letter no. 2097/10-1(Court Case) Lucknow dated 05.02.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE 1.**

5. It is submitted that in compliance with points 15 and 16 of the order dated 07.01.2025 of this Hon'ble Tribunal, a meeting of the Monitoring Committee for the notified Eco-Sensitive Zone (ESZ) of the Soor Sarovar Bird Sanctuary was organised on 21.01.2025. That in the said Notification of ESZ in Soor Sarovar Bird Sanctuary, list of prohibited activities in the ecologically sensitive zone has been clearly and elaboratively mentioned. That vide letter no. 1337/23-1(E.S.Z.) dated 25.01.2025 the Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra has issued the Minutes of Meeting of Monitoring Committee.

True copy of the note sheet and letter no. 1337/23-1(E.S.Z.)

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH REKHA ARORA Adv. & NOTARY Regd. No. 31(79)2001

Rekha Arora Adv. & Notary Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India Regd. No. 31(79)2001

13/2/25

6

dated 25.01.2025 have been annexed herein as **ANNEXURE 2.**

6. That the prohibited activities mentioned in the Notification of ESZ in Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra have been given in the table below for the convenience of this Hon'ble Tribunal:

S. NO.	PROHIBITED ACTIVITY	OFFICE/DEPARTMENTS
1.	*Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing Units*	**Senior Mining Officer**
2.	*Setting of Industries causing Pollution*	**R.O Pollution Control Board**
3.	*Establishment of Major Hydroelectricity Project*	**DVVNL and Irrigation Department**
4.	*Use, Production or Processing of Hazardous Substances*	**R.O Pollution Control Board**
5.	*Discharge of Untreated Effluent in Natural Water Bodies or land area*	**R.O Pollution Control Board**
6.	*Setting up of new Saw Mill*	**Prabhagiye Nideshak, Samajik Vaniki, Agra**

REKHA ARORA NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH
Rekha Arora
Advocate Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

7.	*Setting up of Brick kiln*	**R.O Pollution Control Board**
8.	*Commercial use of Firewood*	**Prabhagiye Nideshak, Samajik Vaniki, Agra**

7. It is important to note here that letter no. 1340/23-1 (E.S.Z.) dated 25.01.2025 from the office of Deputy Forest Conservator, National Chambal Sanctuary Project, Agra was addressed to the following namely:
   - Managing Director, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.
   - Divisional Director, Social Forestry Division, Agra.
   - Executive Engineer, Irrigation Department, Agra.
   - Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra.
   - Deputy Commissioner, District Industries Centre, Agra.
   - Mining Officer, Agra

   That this letter was written to the officials mentioned above to give information about the prohibited activities in the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary. Pursuant to the instructions issued by the District Magistrate, Agra, the aforementioned officials were directed through this letter to

Rekha Arora
Adv. & Notary
Regd. No. 31(79)2001

8

submit a compliance report confirming that no prohibited activities are being permitted or taking place within their jurisdiction, in adherence to the order of the Hon'ble Tribunal. True copy of the letter no. 1340/23-1 (E.S.Z.) dated 25.01.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE 3.**

8. It is germane to mention here that the concerned departments of the Government which are directly connected to the matter at hand and were given instructions of compliance by the District Magistrate, Agra have sincerely and seriously taken cognizance of the issue raised before the Hon'ble Tribunal. That in compliance of the instructions received, these concerned departments have submitted compliance reports elaborating the strict measures taken by them respectively to ensure that no prohibited activities are being carried out within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary. That in light of the same, the following compliance reports have been received from those departments:

COMPLIANCE REPORTS OF CONCERNED DEPARTMENTS:

- **Office of the Executive Engineer, Lower Block, Agra Canal, Agra:** That vide letter no. 507/Lower/Keetham dated 31.01.2025, it has been confirmed that this department is not carrying out any prohibited activity

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH REKHA ARORA Adv. & NOTARY Regd. No. 31(79)200
Rekha Arora Adv. & Notary Mld. H.Q.Lucknow (U.P.) India Regd. No. 31(79)200
13/2/25

within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

That the letter no. 507/Lower/Keetham dated 31.01.2025 has been attached herein as **ANNEXURE 4.**

- **Office of the Senior Mining Officer, Agra:** It is submitted here that vide letter no. 1608/Mineral Assistant/2024-25 dated 05.02.2025, confirmation had been that no mining-related permissions or consents have been granted within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra. That the letter no. 1608/Mineral Assistant/2024-25 dated 05.02.2025 has been attached herein as **ANNEXURE 5.**

- **Office of the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra**: It is important to mention here that confirmed compliance had been received that no permission has been granted for the establishment or expansion of any polluting industry within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra. That this information had been received vide letter no. 1091/OG-649/2025 dated 29.01.2025 from the Regional Office, UPPCB.

That the letter no. 1091/OG-649/2025 dated 29.01.2025

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q.Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

has been attached herein as **ANNEXURE 6.**

- **Office of the Divisional Director, Social Forestry Division, Agra:** It has been confirmed vide letter no. 6593/22-1 dated 07.02.2025, that no new sawmills have been established within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra. It has also been confirmed vide letter no. 6623/22-1 dated 11.02.2025, that commercial use of firewood is prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable law within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

  That the letter no. 6593/22-1 dated 07.02.2025 has been attached herein as **ANNEXURE 7** and letter no. 6623/22-1 dated 11.02.2025 has been attached herein as **ANNEXURE 8.**

- **Office of the Superintending Engineer, Dakshinanchal Vidyut, Vitran Nigam Limited (DVVNL), Agra:** It is pertinent to note here that vide letter no. 313/P.N./D.V.V.N.L./Tech. dated 12.02.2025 from the office mentioned above that no new projects of the Electricity Department have been established under the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

NOTARY * REKHA ARORA ADV. & NOTARY Regd. No. 31(79)2001 GOVT. OF UTTAR PRADESH

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q. Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

True copy of letter no. 313/P.N./D.V.V.N.L./Tech. dated 12.02.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE 9.**

- **Office of Deputy Commissioner of Industries, District Industry Promotion and Entrepreneurship Development Centre, Agra:** That vide letter no. 5077/D.I.P.E.D.C(Agra) dated 07.02.2025, this office confirmed that they have no role to play in the Prohibited and Regulated activities within the notified ESZ of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

  True copy of the letter no. 5077/D.I.P.E.D.C(Agra) dated 07.02.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE 10.**

9. It is also submitted that compliance reports received from concerned departments, have been communicated to District Magistrate, Agra vide letter no. 1484/23-1 dated 12-02-2025 of Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra.

   True copy of the letter no. 1484/23-1 dated 12-02-2025 has been annexed herein as **ANNEXURE 11.**

10. It is pertinent to mention here before this Hon'ble Tribunal with highest respect, integrity and humility that this matter at

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q.Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

12

hand has been duly considered and taken up by the deponent with utmost sincerity and seriousness looking at the grave nature and importance of the matter. It is further submitted that all the compliances mentioned above have been done under the supervision of the Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttar Pradesh, Lucknow and the Monitoring Committee of notified ESZ of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra and in compliance of the last order of the Hon'ble Tribunal dated 07.01.2025 for the kind convenience of this Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY * GOVT. OF UTTAR PRADESH
REKHA ARORA
ADV. & NOTARY
MD. H.Q. LUCKNOW U.P. INDIA
Regd. No. 31(79)2001

N. Kumar

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 13th day of February, 2025, that

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mld. H.Q.Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
REKHA ARORA
Adv. & NOTARY
Mid. H.Q. LUCKNOW U.P. INDIA
Regd. No. 31(79)2001
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Sworn & Verified before me.

Rekha Arora
Adv. & Notary
Mid. H.Q.Lucknow (U.P.) India
Regd. No. 31(79)2001
13/2/25

I Identify The deponent who has been signed/Put his T.I. before me.

14

Annexure-1

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/अगली सुनवाई तिथि 14.02.2025 /ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– 2097 /10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक, फरवरी, 05 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–4
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0–529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन के पत्रांक– रिट–07/81–4–2025 दिनांक 21.01.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.01.2025 में दिये गये निर्देशानुसार अपेक्षित आख्या/बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिए गये निर्देश के अनुपालन में,

1–उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक–1343/10–1 दिनांक 27.01.2025 द्वारा विषयक बैठक के कार्यवृत्त का आलेख सीधे शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति एतद्सह संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

2– विषयक प्रकरण में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.01.2025 के बिन्दु संख्या–10,11व 12 के प्रभावी अंश का उल्लेख करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही में लगने वाले समय का विस्तृत विवरण उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक–1339/10–1 दिनांक 25.01.2025 के संदर्भगत मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के पत्रांक–1395/10–1 दिनांक 31.01.2025 निम्नानुसार प्रेषित किया गया है।

क0स0	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	20–1–2025 से 20–10–2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 22 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
2	21–10–2025 से 21–04–2026 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 तक की कार्यवाही मे लगने वाला समय।
3	22–04–2026 से 22–10–2026 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 भूमि के अभिलेखों के अध्ययन तथा सर्वे के उपरान्त, फील्डबुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव तैयार किये जान में लगने वाला समय।
4	23–10–2026 से 26–12–2026 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 के फील्डबुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव के परिशीलन के उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26। की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने की कार्यवाही में लगने वाला समय।

G:\Gyanendra2024.docx

15

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्र 14.5025 हेक्टेयर के वन्य जीव (संरक्षण) के अधिनियम 1972 की धारा 26 ए के अन्तिम अधिसूचना हेतु इस कार्यालय पर लगने वाले समय के लगभग एक माह को उक्त टाइम लाइन में सम्मिलित करते हुए शासन स्तर पर अंतिम अधिसूचना जारी करने के लगने वाले संदर्भित समय को सम्मिलित करते हुए प्रेषित टाइम लाइन का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.01.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण को ससमय अवगत कराया जा सके। सूचित करना है कि मा0 एन0जी0टी0 के वेवसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के अनुसार वाद सुनवाई हेतु दिनांक 14.02.2025 को सूचीबद्ध है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।।

पत्रांक : 2097 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण में शासन से समन्वय स्थापित कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अवगत कराने हेतु अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1–मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा।

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

G:\Gyanendra2024.docx

16

Annexure-2

कार्यालय : उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा।	

टीपें और आज्ञाएं

जिलाधिकारी, आगरा

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07-01-2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपकी की अध्यक्षता में दिनांक 21-01-2025 को सांय 5.00 बजे उनके कैम्प कार्यालय में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1- श्रीमती चांदनी सिंह, उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
2- श्री कर्णपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
3- श्री विनोद कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
4- श्री सन्त प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग, आगरा।
5- श्री कृष्णा चन्द्रशेखर, वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा।
6- श्री अमरेन्द्र सिंह, वैयक्तिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।

1- बैठक में सर्वप्रथम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10-10-2019 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ सं0 06 पर बिन्दु सं0 4 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची का उल्लेख किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से वांछित सूचना यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा निर्देश दिये गये।

2- सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में गठित निगरानी समिति के क्र0सं0 (ii) पर पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा वर्णित हैं, परन्तु वर्तमान में आगरा जनपद में कमिश्नरेट सिस्टम आने के आलोक में सदस्य के नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा सदस्य को नामित कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर पत्रावली के दायिनी तरफ संलग्न है। कृपया अनुमोदन प्रदान करते हुए सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

दिनांक-22-01-2025

शिविर कार्यालय पर
प्राप्ति का दिनांक 22/01/2025

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा।

25/1/25

जिलाधिकारी,
आगरा

16

17

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07–01–2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 21–01–2025 को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की हुई बैठक का कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07–01–2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 21–01–2025 को सांय 5.00 बजे उनके कैम्प कार्यालय में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1– श्रीमती चांदनी सिंह, उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
2– श्री कर्णपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
3– श्री विनोद कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
4– श्री सन्त प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग, आगरा
5– श्री कृष्णा चन्द्रशेखर, वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा।
6– श्री अमरेन्द्र सिंह, वैयक्तिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।

1– बैठक में सर्वप्रथम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10–10–2019 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ सं0 06 पर बिन्दु सं0 4 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची का उल्लेख किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से वांछित सूचना यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी, आगरा महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

2– सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में गठित निगरानी समिति के क्र0सं0 (ii) पर पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा वर्णित हैं, परन्तु वर्तमान में आगरा जनपद में कमिश्नरेट सिस्टम आने के आलोक में सदस्य के नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा महोदय द्वारा सदस्य को नामित कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा।

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा।

पत्रांक 1337 / 23–1(ई0सें0जो0) दिनांक, आगरा, जनवरी 25, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
3– जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा।
5– श्री सन्त प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग, आगरा।
6– श्री पवन पारीख, प्रोजेक्ट मैनेजर/बॉयोलॉजिस्ट, टी0एस0ए0, गढ़ायता, इटावा।
7– वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा।

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा।

18

Annexure-3

अतिमहत्वपूर्ण/एन0जी0टी/व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 1340/ 23-1 ई0सें0जो0 दिनांक, आगरा, जनवरी 25 ,2025

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण खण्ड, आगरा।
2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
3- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।
5- उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा।
6- खान अधिकारी, आगरा।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07-01-2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07-01-2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 21-01-2025 को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में उनके कैम्प कार्यालय में सांय 5.00 बजे सम्बन्धित विभागों के साथ ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10-10-2019 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ सं0 06 पर बिन्दु सं0 4 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत है-

क्र0 सं0	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाईयों तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी, (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं0 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी, परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जायेगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

उपरोक्त प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से अनुपालन आख्या यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी, आगरा महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा जिलाधिकारी, आगरा महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या शीघ्रातिशीघ्र 03 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रकरण अतिमहत्वपूण है तथा मा० न्यायालय से आच्छादित है। अतः इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

<u>संलग्नकः– सूरसरोवर पक्षी विहार व ईको सेन्सिटिव जोन के जीपीएस को–आर्डिनेट्स।</u>

भवदीया,

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 1340 / 23–1 (ई०सें०जो०) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

o/c

20

Annexure-4

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

मेल :
eeldacagr .com

पत्रांकः- 507 /लोअर/दशीठग

दिनांकः-31 .01.2025

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0-529/2023 में पारित आदेश दिनांकित-07.01.2025 के बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक-1340/23-1 ई0सें0जो0, दिनांक-25.01.2025।

उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0-529/2023 में पारित आदेश दिनांि .01.2025 के बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना सं0-06 पर बिन्दु सं0-04 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूचना उपलब्ध कराये जाने की वॉछना की गयी है। उक्त सम्बन्ध में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता-प्रथम की आख्यानुसार अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची में से इस विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतः इस खण्ड की सूचना शून्य समझी जाये।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

31/01/25

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांकः- /लोअर/कीठम/तदिनांकः-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा को उनके द्वारा मौखिक रूप से उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

Puneet D/M

२१

Annexure-5

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र० आगरा।

दिनांक 05/02/2025

पत्रांक 1608 /खनिज सहायक/2024–25

विषय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए० सं०–529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2025 के बिन्दु सं०–15 के अनुपालन में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं0 1340/23–1 ई0सें0जो0 दिनांक 25.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2025 के बिन्दु संख्या–15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक दिनांक 21.01.2025 में जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ–06 पर बिन्दु सं0 04 में परिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले कियाकलापों की सूची का उल्लेख किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है इको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा खनन सम्बन्धी कोई अनुमति/सहमति प्रदान नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,
05.02.2025
खान निरीक्षक,
आगरा।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

खान निरीक्षक,
आगरा।

22

Annexure-6

email: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः –1091/F6-649/2025 दिनांकः–29/01/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0–529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2025 के बिन्दु सं0–15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं0–1340/23–1 ई0सें0जो0 दिनांक 25.01.2025 जो ई–मेल एवं डाक के माध्यम से कार्यालय में दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0–529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2025 के बिन्दु सं0–15 के अनुपालन में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक दिनांक 21.01.2025 में जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ सं0–06 पर बिन्दु सं0 04 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले कियाकलापों की सूची का उल्लेख किया गया है।

तत्कम में अवगत कराना है कि कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 के पृष्ठ सं0–06 पर बिन्दु सं0 04 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले कियाकलापो की सूची के अन्तर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों के स्थापना तथा विस्तार हेतु कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

EE ASC

SA

23

Annexure-7

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

पत्रांक– 6593 /22–1 दिनांकः आगराः 07 फरवरी, 2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंचुरी प्रोजेक्ट
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–529/2023 में पारित आदेश दिनांक–07.01.2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईकों सेंन्सिटव जोन की निगरानी समिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1340/23–1 दि0–25.01.2025

महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र द्वारा द्वारा मांगी गयी विषयगत बिन्दु संख्या–15 के ईकों सेंन्सिटव जोन निगरानी सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है।

क0सं0	कियाकलाप	टिप्पणियॉं
1	2	3
06	नई आरामिलों की स्थापना	ईकों सेंन्सिटव जोन के अन्तर्गत आगरा वन प्रभाग की कोई नई आरामिल स्थापित नहीं है।

भवदीय

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

24

Annexure-8

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

पत्रांक– 6623/22–1 दिनांकः आगराः 11, फरवरी, 2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंचुरी प्रोजेक्ट
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–529/2023 में पारित आदेश दिनांक–07.01.2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईकों सेंन्सिटव जोन की निगरानी समिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1340/23–1 दि0–25.01.2025

महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र द्वारा द्वारा मांगी गयी विषयगत बिन्दु संख्या–15 के ईकों सेंन्सिटव जोन निगरानी सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है।

क0सं0	कियाकलाप	टिप्पणियाँ
1	2	3
08	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्व (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

भवदीय
A.K.
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

1464 \Com-PACOM-PA\COMPUTER-PA\CC\HOB\RC running letter.doc

25

Annexure-9

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 के.वी. उपसंस्थान बाई पास रोड, सिकन्दरा, आगरा- 282007
E-mail – chieftechnical67@gmail.com
CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक : 313 /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ दिनांक : 12/02/25

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0एम0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के बिन्दु सं0 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेंन्सिटव जोन की निगरानी समिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:–आपका पत्रांक–1340/23–1 दि0–25.01.2025

महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र द्वारा मांगी गयी विषयागत बिन्दु संख्या–15 के ईको सेंन्सिटव जोन निगरानी सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
03	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	ईको सेंन्सिटव जोन के अन्तर्गत विद्युत विभाग की कोई नई परियोजना स्थापित नही है।

भवदीय

(राजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

पत्रांक : /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ दिनांक :
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को मृदु संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(राजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

26

Annexure-10

कार्यालय:उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र,आगरा

पत्रांक 5077 /जि0उ0एवंउ0प्रो0के0(आ0)/ई0सें0जो0/2024-25 दिनांक: 07-02-25

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा

विषय :-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण गें दाखिल ओ0 ए0 सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 1340/23-1 ई0सें0जो0 दिनांक जनवरी 25, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन निगरानी समिति की बैठक के सम्बन्ध में बिन्दुबार आख्या चाही गयी है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर चाही गई आख्या इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
आगरा

27

Annexure-11

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा

पत्रांक 1484/23–1 आगरा, दिनांकः फरवरी 12, . 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07–01–2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की सीमाओं के सुवयवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07–01–2025 **(संलग्नक–1)** के बिन्दु संख्या 15 का अंश निम्नवत् हैः–

"15. Learned Counsel for the State, however, could not dispute with regard to prohibited activities, within prohibited area of notified reserve forest/wildlife sanctuary or birds sanctuary or within the prohibited eco sensitive zone thereof, cannot be allowed to be continued but in this regard nothing has been placed on record. He said that he may be allowed time to place on record said facts also."

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे0 के ESZ की अधिसूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 3649(अ) दिनांक 10–10–2019 **(संलग्नक–2)** द्वारा की गयी है। उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 05 में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 6(1) में वर्णित है कि निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधो के अनुपालन की निगरानी करेगी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 07–01–2025 के बिन्दु संख्या 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपकी अध्यक्षता में आपके शिविर कार्यालय में **दिनांक 21–01–2025 को** एक बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ सं0 06 पर बिन्दु सं0 04 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उल्लिखित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त करने हेतु आप द्वारा निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रांक 1340/23–1ई0सें0जो0 दिनांक 25–01–2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा सम्बन्धित विभागों से सूचना मांगी गयी, जिसके क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं। सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनायें संलग्न कर आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा